



## राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	<b>बन्नाराम बनाम रामफूल</b> हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
258/2018 3/03/2026	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई   अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित   अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी   पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/03/2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई   संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/01/2018 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया   जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी   जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी  </p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया   उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है, ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा ऐसा नही कर इस अपील के माध्यम से अपीलाधीन अन्तरिम आदेश को चुनौती दिया जाना विधिसम्मत जाहिर नही होता है तथा उद्धरित तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है   इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा इस अपील के स्तर पर ऐसा कोई ठोस आधार पर जाहिर नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो   अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/01/2018 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है  </p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 27/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"></p>	